(ख) जिला स्तर, सब डिवीजन स्तर पर और थाना प्रभारी के रूप में तैनात अनुसूचित जनजाति के दिल्ली पुलिस अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है :

जिला स्तर पर पुलिस उप-आयुक्त के रूप में . .	शून्य
सबडिवीजनल स्तर पर पुलिस सहायक आयुक्त के रूप में .	4
थाना प्रभारी के रूप में .	3

(ग) दिल्ली पुलिस के प्रशासनिक ढांचे को 9 जिलों, 38 सबडिवीजनों और 105 पुलिस स्टेशनों में बांटा गया है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) 5 साल से अधिक समय से एक ही पद पर कार्यरत दिल्ली पुलिस अधिकारियों की संख्या और उनमें से अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार से है :

	पांच वर्षों से अधिक समय से एक ही पद पर कार्य कर रहे अधिकारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के उन अधिकारियों की संख्या जो पांच वर्षों से अधिक समय से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं
पुलिस सहायक आयुक्त	04	—
निरीक्षक .	20	02
उप-निरीक्षक	104	03
सहायक उप-निरीक्षक	133	02

Recipents of Freedom Fighters' Pension

5508. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the total number of Freedom Fighters in the Country, State-wise;

(b) how many of them are receiving pension and the total amount of pension given to them State-wise; and

(c) whether widows of the freedom fighters are eligible for pension after the death of freedom fighters receiving pension; if not, whether Government would consider giving pension to such widows?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) and (b) From the inception of the Scheme, freedom fighters' pension has so far been sanctioned to 1.62,363 persons including their dependents. A statement showing State-wise details of persons who have been sanctioned freedom fighters' pension by the Central Government is enclosed. (See below) No record in respect of the living freedom fighters who are presently drawing pension is being kept. The disbursement of pension is decentralised through Treasury officers and branches of specified nationalised banks. The reported expenditure on payment of pension during 1994-95 (upto February, 1995) is Rs. 87.73 crores. State-wise details of expenditure are not maintained.

(c) The Scheme provides that if a freedom fighter receiving pension predeceases leaving a legally wedded wife as widow pension as the full rate is transferred to the widow and is admissible to her till death or remarriage, whichever is earlier.

Sl.No.	State/UT	No. of cases in which freedom fighters pension has been sanctioned up to 30-4-1995
1	Andhra Pradesh	10979
2	Arunachal Pradesh	..
3	Assam	4328
3	Bihar	24535
5	Goa	906
6	Gujarat	3550
7	Haryana	1635
8	Himachal Pradesh	565
9	Jammu & Kashmir	1779
10	Karnataka	9939
11	Kerala	2803
12	Madhya Pradesh	3333
13	Maharashtra	16443
14	Manipur	62
15	Meghalaya	86
16	Mizoram	4
17	Nagaland	3
18	Orissa	4151
19	Punjab	868
20	Rajasthan	783
21	Sikkim	..
22	Tamil Nadu	4064
23	Tripura	6886
24	Uttar Pradesh	17881
25	West Bengal	22373
26	A& N Islands	..
27	Chandigarh	88
28	Dadra & Nagar Haveli	..
29	Daman & Diu	33
30	Delhi	..
31	Lakshadweep	2024
32	Pondicherry	312
33	INA	21950
	TOTAL :	162363

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यकरण में खामियां

5509. श्री राम जेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मार्च 1995 के "डेली टेलीग्राफ" में "स्टडी क्वेशन्स सी0आर0पी0एफ0 एफी-सिएंसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गठित अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यकरण में अनेक खामियों का उल्लेख किया गया र ;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट का अध्ययन करने के उपरांत नैदानिक उपाय करने का निश्चय किया है ; और

(घ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) (क) जी हां श्रीमान ।

(ख) से (घ) यह लेख ए0एस0सी0 आई0 हैदराबाद द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कुछ प्रशासनिक और आपरेशनल प्रक्रियाओं की क्षमता में और वृद्धि करने की एक जारी प्रक्रिया के एक भाग के